GCMS No.- 2021/64

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 32 / 2021 (जीसीएमएस न02021 / 64)

उनवानी प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ————————प्रार्थी।

बनाम

मूला पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर ————————अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि0।

अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट।

दिनांक :–10.10.2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी मूला पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर को राजस्व ग्राम वरेहमोरी में आराजी खसरा नम्बर 1055/312 रकबा 02 विस्वा दिनांक 24.08.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 44 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः आवंटन कमेटी का आदेश बहक मूला पुत्र भरतसिंह के पक्ष ग्राम वरेहमोरी का आराजी खसरा नम्बर 1055/312 में हुआ आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी, नकल नामान्तकरण, आवटंन पटटा पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उजदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी वक्त आवंटन से निरन्तर काबिज कास्त है तथा खसरा नम्बर 1055/312 में पशुपालन करता है तथा पशुओं का हरा चारा व सब्जी उगाता है। अप्रार्थी ने आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया है तथा आज भी पालन कर रहा है। पशु पालन कृषि कार्य की श्रेणी में आता है। आवारा पशुओं व चोरी से सुरक्षा की दृष्टि से मात्र तार वाउन्ड्री हो रही है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में अंकित बाडे शब्द से हो रही है। विवादित खसरा नम्बर में मकान नहीं बनाया है बल्कि निरन्तर कृषि कार्य किया है। प्रार्थी ने 36 वर्ष के असाधारण बिलम्ब के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को राजस्व ग्राम वरेहमोरी तहसील धौलपुर में आराजी खसरा नम्बर 1055/312 रकवा 02 विस्वा दिनांक 24.08.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 44 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार विवादित आराजी में आवंटी का मकान बना हुआ है कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी मौके पर बाडे के रूप में काम आ रही है जो कृषि कार्य की श्रेणी में ही आता है। अप्रार्थी आवंटित आराजी में पशुपालन करता है तथा पशुओं का हरा चारा व सब्जी उगाता है। अप्रार्थी ने आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया है तथा आज भी पालन कर रहा है। पशु पालन कृषि कार्य की श्रेणी में आता है। आवारा पशुओं व चोरी से सुरक्षा की दृष्टि से मात्र तार ब्राउन्ड्री हो रही है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में अंकित बाडे शब्द से हो रही है। आवंटित आराजी में मकान नहीं बनाया है बल्कि निरन्तर कृषि कार्य किया है। प्रार्थी ने 36 वर्ष के असाधारण बिलम्ब के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। अतः सरकार का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जावे।

कलक्टर
पुर (राज०)

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी/आवंटी का कथन है कि अप्रार्थी वक्त आवंटन से निरन्तर काबिज कास्त है आवंटित आराजी पर पशुपालन करता है तथा पशुओं का हरा चारा व सब्जी उगाता है। आज भी मौके पर उक्त कार्य हो रहा है। पशु पालन कृषि कार्य की श्रेणी में आता है। आवारा पशुओं व चोरी से सुरक्षा की दृष्टि से मात्र तार वाउन्ड्री हो रही है। विवादित खसरा नम्बर में मकान नहीं बनाया है बल्कि निरन्तर कृषि कार्य किया है। अप्रार्थी/आवंटी ने अपने कथनों के सर्मथन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है, के अवलोकन से यह सावित होता है कि आवंटी ने विवादित आराजी पर कोई काश्त नहीं की है। मौके पर उक्त आराजी में आवंटी का मकान बना हुआ है। उक्त आराजी कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2072–79 के अवलोकन करने पर भी उक्त विवादित आराजी पडत दर्ज है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई काश्त का अंकन नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवटंन की शर्तो का पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मूला पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर को ग्राम बरेहमोरी तहसील धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 1055/312 रकवा 0.02 का दिनांक 04.03.1986 को आवटंन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)